न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, जमुई।

**जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–11/2019**

| Sl No date of order of proceeding | Order with Signature of the Court | Office action taken with date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 14.11.19 | आदेश<br>श्री बंधु यादव, पे0–स्व0 माधो यादव– आवेदक प्रथम<br>श्री मिथलेश यादव, पे0–स्व0 माधो यादव– आवेदक द्वितीय<br>श्री सरयुग यादव, पे0–स्व0 माधो यादव– आवेदक तृतीय<br>श्री दिनेश यादव, पे0–स्व0 माधो यादव– आवेदक चतुर्थ<br>सा0–धोबधट, थाना–खैरा, जिला–जमुई।<br>**बनाम**<br>श्री हरि यादव, पे0–मुशो यादव– विपक्षी प्रथम<br>श्री संजय यादव, पे0–मुशो यादव– विपक्षी द्वितीय<br>**अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद श्री बन्धु यादव, पे0–स्व0 माधो यादव, सा0–धोबधट, थाना–खैरा, जिला–जमुई के आदेवन दिनांक–03.12.2018 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई एवं लिखित बहस दाखिल की गई।<br>**वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–** (1) आवेदकगण के पिता स्व0 माधो यादव का ससुराल छोटु यादव, पे0 जगन यादव, साकिन– पचमहुआ, थाना–सिकन्दरा, जिला– जमुई के यहां था। जिनकी पत्नी का नाम करूणा देवी पिता छोटू यादव था।<br>(2) छोटू यादव अपनी खरीदगी और अपने हिस्से की जमीन जिसका खाता नं0–86, 54 और 87 में कुल रकवा 22 डी0 जमीन क्रमशः खाता नं0–86 के खेसरा नं0–269 में 12 डी0, खाता नं0–54 खेसरा नं0–11 में रकवा 05 डी0 एवं खाता नं0–87 के खेसरा 261 में 5 डी0 कुल मिलाकर 22 डी0 जमीन का दान–पत्र दिनांक–09–03–1987 को अपने दामाद, माधो यादव, पे0 दुखन यादव, साकिन–धोवघट, थाना–खैरा, जिला–जमुई को लिख दिया गया।<br>(3) बख्शीशनामा के दिन से ही आवेदकाण के पिता का प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा था।<br>(4) प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के पिता माधो यादव के नाम से दाखिल होकर जमावंदी नं0–170 कायम हुआ एवं मालगुजारी रसीद भी कट रही थी।<br>(5) आवेदकगण के पिता माधो यादव अथवा आवेदकगण द्वारा बख्शीशनामा से प्राप्त उक्त जमीन कभी भी संजय यादव या हरि यादव विपक्षी के यहां बिक्री नहीं की गई।<br>(6) उक्त एराजी पर हरि यादव या संजय यादव का कभी भी एकक्षण के लिए दखल कब्जा नहीं था।<br>(7) आवेदकगण के पिता माधो यादव वर्ष 2012 में स्वर्गवास हो गए और उनकी पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद बराबर अपने जमीन पर | |

दखलकार रही।

(8) आवेदकगण आपस में शिड्यूल बंटवारा करके 22 डी0 जमीन को चार बराबर भाग में बाँट लिया।

(9) उसके बाद सिकन्दरा अंचल में आवेदकों ने बँटवारा के आधार पर अलग अलग जमाबंदी कायम करने के लिए दिया गया, जिसकी जाँच हुई, जिसमें कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 22 डी0 जमीन में से 12 डी0 जमीन की जमाबंदी नं0–218 हरि यादव वो संजय यादव के नाम से कायम हो चुकी है और आवेदकगण को यह भी जानकारी मिली कि विपक्षियों ने दस्तावेज नं0–964 का एक जाली कागज तैयार कराकर अंचल कार्यालय को धोखा देखकर जमावंदी नं0–218 गलत ढंग से 2015 में लगवा लिया है।

(10) आवेदकों ने उक्त जानकारी प्राप्ति करने के वाद दस्तावेज सं0–964 का नकल भी निकाला जिससे जानकारी हुई कि दस्तावेज सं0–964 के बिक्रेता भाषो सिंह, पे0 विहारी सिंह, साकिन–लखापुर, थाना–जमुई जिला–मुंगेर है एवं खरीददार रामदेव सिंह, दुर्गा सिंह, झूला सिंह, पे0–जागेश्वर सिंह, ग्राम–लखपुर, थाना–जमुई, जिला–मुंगेर है।

(11) नकल के पश्चात् आवेदकगण को यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षियों ने अंचल अमलाओं को धोखा देकर गलत कागज के आधार पर जमावंदी नं0–218 गलत रूप से दर्ज करवा लिया है।

(12) जमाबंदी नं0–218 खाता नं0–86 के खेसरा नं0–269 रकवा 12 डी0 से संबंधित है और यह जमावंदी दस्तावेज सं0–964 के आधार पर सृजित किया गया है।

(13) अंचलाधिकारी, सिकन्दरा द्वारा जमाबंदी नं0–170 के रैयतों को नोटिस भी निर्गत नहीं किया और गलत ढंग से गलत दस्तावेज के आधार पर विपक्षियों के नाम से गलत जमाबंदी कायम कर दिया गया है।

(14) विपक्षियों ने अपने कारण पृच्छा की कंडिका तीन में यह गलत लिखा है कि माधो यादव ने दिनांक–11–05–1989 को खाता नं0–86 खेसरा नं0–269 रकवा 12 डी0 केवाला किया है तथा उनका यह भी कहना गलत है कि उक्त अराजियात पर विपक्षी का दखल–कब्जा है।

(15) विपक्षीगण ने अपने कारण–पृच्छा की कंडिका 7 में गलत कहा है कि आवेदकगण को अपील में जाना चाहिए था, क्योंकि अंचलाधिकारी सिकन्दरा ने आवेदकगण को बिना जानकारी दिए और बिना सुने गलत ढंग से गलत दस्तावेज के आधार पर जमावंदी नं0–218 बिहार सरकार के सिरिस्ता में गलत दर्ज किया है, ऐसी परिस्थिति में यह मामला अपील का नहीं बनता है।

(16) बिहार लैण्ड म्यूटेशन एक्ट, 2011 के दफा 9 में अपर समाहर्त्ता को वृहत अधिकार प्राप्त है और गलत ढंग से किसी जमीन का गलत जमावंदी कायम हो गया है तो उसे अपर समाहर्त्ता रद्द कर देंगे।

(17) बिहार लैण्ड म्यूटेशन रूल, 2012 के रूल 13 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके जमीन के संबंध में गलत जमावंदी नियमों का उल्लंघन करते हुए कायम करा लिया है तो वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जमाबंदी रद्दीकरण का आवेदन अपर समाहर्त्ता के यहाँ दाखिल कर सकता है।

<u>प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) का कथन</u> :–(1) विपक्षीगण का कहना है कि आवेदकगण की ओर से दाखिल जमाबंदी रद्दीकरण वाद तथ्य एवं विधि

दोनो दृष्टि से अपोषणीय है।

(2) माधो यादव को मौजा–पचमहुआ के खाता सं0–54, खेसरा सं0–11, रकवा–05डी0, खाता सं0–86, खेसरा सं0–269 में 12डी0 एवं खाता सं0–87, खेसरा सं0–261 में रकवा–05डी0 कुल रकवा–22डी0 जमीन था, जिसका जमाबंदी सं0–170 माधो यादव के नाम से कायम था।

(3) जमाबंदी रैयत माधो यादव के द्वारा उक्त भूमि में से 12 डी0 जमीन की बिक्री संजय यादव एवं हरि यादव के पक्ष में कर दिया गया।

(4) जमाबंदी रैयत माधो यादव ने अपने जीवन काल में स्वयं दिनांक–11.05.1989 को संजय यादव एवं हरि यादव के पास खाता सं0–86, खेसरा सं0–269 रकवा–12डी0 जमीन मो0–3,00,000/–(तीन लाख) रूपये में निबंधित केवाला सं0–964 के द्वारा बिक्री कर दिया था। उस केवाला पर गवाह के रूप में कन्हाय प्रसाद वो रामेश्वर प्रसाद साव का हस्ताक्षर दर्ज है।

(5) उक्त 12डी0 जमीन खरीदने के वाद विपक्षीगण उक्त जमीन के दखल–कब्जा में आकर जोत अवाद करने लगे।

(6) खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0 जमीन का दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0–218 विपक्षीगण के नाम से कायम हुआ है। विपक्षीगण सरकार को लगान अदाकर अद्यतन लगान रसीद अपने नाम से कटाते चले आ रहे है।

(7) विपक्षीगण का यह भी कहना है कि आवेकगण ने आपस में शिड्यूल बँटवारा कर सम्पूर्ण 22डी0 जमीन को चार बराबर भाग में बांट लिया। दरअसल आवेदकों को 22डी0 में से 12 डी0 जमीन हटाकर आपस में बांटना चाहिए था लेकिन जानबुझ कर गलत शिड्यूल लगाकर चार भाग में बांट दिया गया।

(8) पूर्व में माधो यादव के द्वारा जमीन की बिक्री विपक्षीगण को कर दिया गया, वैसी स्थिति में बिक्री किये गये जमीन को बांटना न्यायोचित नहीं है।

(9) विपक्षीगण खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0 जमीन को खरीदने के बाद शांति पूर्वक जोत आवाद कर रहे है, जिसकी जानकारी आवेदकगण को प्रारंभ से थी।

(10) जिस समय विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी कायम हुआ उस समय आम वो खास नोटिस अंचल कार्यालय, सिकन्दरा द्वारा निर्गत किया गया था और उस समय कोई आपति नहीं आने पर सुनवाई के उपरांत दाखिल–खारिज विपक्षीगगण के नाम से किया गया।

(11) विपक्षीगण का यह भी कहना है कि दस्तावेज सं0–964 जाली कागज है, सरासर गलत है। विपक्षी के दाखिल–खारिज से यदि कोई शिकायत ओवदकगणों को है तो उसके विरूद्ध अपील का प्रावधान है, लेकिन आवेदकों द्वारा उक्त अधिकार का अभित्याजन कर सीधे जमाबंदी रद्दीकरण का वाद लाया गया, जो चलने लायक नहीं है। इतना ही नहीं यदि विपक्षी के दस्तावेज पर आवेदकों को आपति है, तो इसके लिए भी जमाबंदी रद्दीकरण वाद सही नहीं है बल्कि आवेदकगणों को इसके लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय जाना चाहिए था।

(12) अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि खाता सं0–86, खसेरा सं0–269, रकवा–12डी0 का दाखिल–खारिज होकर

दाखिल–खारिज वाद सं0–एम01334/15–16 के अनुसार जमाबंदी सं0–170 से घट कर कायम हुई है। फलतः विधिवत् रूप से हुए दाखिल–खारिज के विरूद्ध जमाबंदी रद्दीकरण, जो दाखिल किया गया है वह नियमानुकूल नहीं है और अविलम्ब खारिज करने योग्य है।

(13) वास्तविकता यह है कि खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0 सहित कुल 22डी0 जमीन छोटू यादव ने अपने दामाद माधो यादव को वसीका दिया था और माधो यादव ने उसमें से 12डी0 जमीन अपने साला के लड़के संजय यादव एवं हरि यादव को केवाला कर दिया, जिसकी छाया–प्रति संलग्न है और शेष 10डी0 जमीन अपने पास ही रखा।

(14) विपक्षीगण का यह भी कहना है कि इस वाद से संबंधित विवाद के निस्वत आरक्षी उपमहानिरीक्षक, मुंगेर के समक्ष भी एक शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाँच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा बढ़ा–चढ़ा का मामला का उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने अपने प्रतिवेदन में दिया है कि आवेदकों द्वारा जमीन हड़पने के लिए झुठा आरोप लगाकर आवेदन दिया गया है।

निष्कर्ष :– उभयपक्षों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई, समर्पित लिखित बहस एवं संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष का दावा इस आधार पर है कि छोटू यादव, पे0–जगन यादव, सा0–पचमहुआ, थाना–सिकन्दरा ने अपनी खरीदगी और अपने हिस्से की जमीन खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0, खाता सं0–54, खेसरा सं0–11, रकवा–05डी0 एवं खाता सं0–87, खेसरा सं0–261, रकवा–05डी0 कुल रकवा–22डी0 निबंधित दान पत्र दिनांक–09.03.1987 द्वारा उनके पिता माधो यादव को वख्शीशनामा किया गया था एवं उसी समय से वे लोग उक्त भूमि के दखल में चले आ रहे है तथा उनके पिता के नाम से दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0–170 कायम हुआ। आवेदकगण के पिता अथवा आवेदकगण के द्वारा वख्शीशनामा से प्राप्त भूमि को विपक्षी के पास कभी भी बिक्री नहीं की गई। आवेदकगण के पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हो गई एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर उनकी पत्नी दखलकार रही। आवेदकगण द्वारा आपस में शिड्यूल के अनुसार बंटवारा कर के उक्त 22डी0 भूमि को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और जब वे लोग बंटवारा के आधार पर जमाबंदी अलग–अलग कराने हेतु सिकन्दरा अंचल गये तो संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया गया कि उक्त बख्शीशनामा से प्राप्त 22डी0 जमीन में से 12डी0 जमीन की जमाबंदी हरि यादव वो संजय यादव के नाम पर कायम हो चुकी है। यह भी जानकारी दी गई कि विपक्षियों द्वारा दस्तावेज सं0–964, दिनांक–11.05.1989 के आधार पर दाखिल–खारिज कराकर वर्ष 2015 में जमाबंदी सं0–218 पर दर्ज करवा लिया गया है। आवेदकगण द्वारा दस्तावेज सं0–964 की नकल निकाली गई तो पता चला कि यह दस्तावेज अन्य स्थान, अन्य व्यक्ति एवं अन्य भूमि से संबंधित है। अंचलाधिकारी, सिकन्दरा द्वारा जमाबंदी सं0–170 के रैयतों को नोटिस भी निर्गत नहीं किया गया एवं गलत दस्तावेज के आधार पर विपक्षियों की जमाबंदी कायम कर दी गई। विपक्षीगण कभी भी प्रश्नगत भूमि के दखल–कब्जा में नहीं रहे। साक्ष्य के रूप में छोटू यादव द्वारा निबंधित वसीका दिनांक–09.03.87 द्वारा माधो

यादव को प्रश्नगत भूमि का किया गया वख्शीशनामा, निबंधित वसीका सं0–964, दिनांक–23.01.89 की सत्यापित प्रति की छाया–प्रति जिसके द्वारा अन्य बिक्रेता द्वारा विवादित भूमि से इतर दूसरे मौजा की जमीन अन्य क्रेता को बिक्री की गई है, दाखिल–खारिज वाद सं0–एम01334/15 के अभिलेख की छाया–प्रति एवं विपक्षी संजय वो हरि यादव की जमाबंदी सं0–218 में खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0 का वर्ष 2015–16 में निर्गत लगान रसीद की छाया–प्रति संलग्न की गई है। वही विपक्षीगण का दावा है कि मौजा–पचमहुआ में खाता सं0–86, खेसरा सं0–269 रकवा–12डी0 जमीन 3,00,000/–(तीन लाख) रूपये में जमाबंदी सं0–218 के जमाबंदी रैयत माधो यादव ने निबंधित वसीका सं0–964, दिनांक–11.05.1989 द्वारा विपक्षीगण संजय यादव वो हरि यादव के पक्ष में बिक्री कर दिया, जिसमें गवाह के रूप में कन्हाय प्रसाद वो रामेश्वर प्रसाद साव का हस्ताक्षर है। क्रय के समय से ही विपक्षीगण उक्त भूमि का दखल–कब्जा प्राप्त कर जोत–आवाद कर रहे है। प्रश्नगत भूमि खाता सं0–86, खेसरा सं0–269, रकवा–12डी0 जमीन दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0–218 पर विपक्षीगण के नाम से कायम हुई एवं तब से वे नियमित रूप से लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है। आवेदकगण द्वारा गलत रूप से कुल जमीन 22डी0 का शिड्यूल बनाकर बंटवारा किया गया है, जबकि उन्हें 12डी0 जमीन घटाकर बंटवारा करना चाहिए था। विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी अंचल अधिकारी द्वारा आम वो खास नोटिस निर्गत करने के उपरांत आपति नहीं प्राप्त होने के आलोक में किया गया। आवेदक का यह कहना कि दस्तावेज सं0–964 जाली कागजात है, गलत है। यदि उन्हें कोई शिकयत थी तो दाखिल–खारिज आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया जाना चाहिए था परन्तु आवेदकगण के द्वारा उक्त अधिकार का अभित्याजन कर सीधे जमाबंदी रद्दीकरण वाद लाया गया, जो पोषनीय नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि सहित 22डी0 भूमि छोटू यादव ने अपने दामाद माधो यादव को वख्शीश किया था तथा माधो यादव ने उसमें से 12डी0 भूमि अपने साला के लड़के संजय यादव एवं हरि यादव को केवाला कर दिया एवं शेष 10डी0 जमीन अपने पास रखा। आवेदकगण द्वारा इस वाद से संबंधित विवाद आरक्षी उपमहानिरीक्षक, मुंगेर के समक्ष भी रखा था, जिसकी जाँच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई तथा स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया था कि आवेदक द्वारा मामला को बढ़ा–चढ़ा कर उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि जमीन हड़पने के लिए झुठा आरोप लगाकर आवेदन दिया है। साक्ष्य के रूप में केवाला सं0–964, दिनांक–11.05.89 की छाया–प्रति एवं पुलिस अवर निबंधक, सिकन्दरा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी के जनसम्पर्क कोषांग को प्रेषित प्रतिवेदन सं0–डी0आर0–1435 /18, दिनांक–19.08.2018 की छाया–प्रति संलग्न की गई है। उभयपक्षों के दावों के विचारण के उपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत मामले में मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर विचार किया जाना है 1. दोनों पक्षों द्वारा समर्पित निबंधित वसीका सं0–964 में कौन सा वसीका कानूनी रूप से वैध है तथा कौन सा वसीका कानूनी रूप से वैध नहीं है। आवेदकगण द्वारा 964 से संबंधित, जो वसीका दिया गया है वो अन्य व्यक्ति एवं अन्य जमीन के क्रय–बिक्रय का है, जिसका वजाप्ता नकल

उन्होनें जिला निबंधन कार्यालय, मुंगेर से प्राप्त किया है, परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है; जिसमे किसी निबंधन से संबंधित प्राधिकार द्वारा विपक्षीगण के द्वारा समर्पित केवाला को गलत अथवा वास्तविक रूप से निबंधित नहीं होना बताया गया है। यह आवेदकगण का दायित्व है कि वे अकाटय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करें कि विपक्षीगण का वसीका जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, सिकन्दरा द्वारा दाखिल–खारिज किया गया है, वह जाली कागजात है। आवेदक द्वारा विपक्षीगण का वसीका, जो उनकी जमीन के कथित रूप से जाली वसीका है, के आलोक में विपक्षीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दायर करने एवं पुलिस के द्वारा जाँच में जाली वसीका होने का प्रतिवेदन या किसी सक्षम न्यायालय का इस हेतु कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस न्यायालय को किसी वसीका की कानूनी वैधता/अवैधता निर्धारण की शक्ति नहीं है। जहाँ तक गलत रूप से दाखिल–खारिज किये जाने अथवा दाखिल–खारिज में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने का बिन्दु है, इसके निर्धारण की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है क्योकि दाखिल–खारिज, बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के तहत एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के समक्ष अपील दायर किये जाने का प्रावधान है। आवेदकगण चाहे तो अंचल अधिकारी, सिकन्दरा द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–एम01334/15 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। अंचल अधिकारी, सिकन्दरा द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–एम01334/15 में दिनांक–31.12.2015 को पारित आदेश के आलोक में विहित रूप से विपक्षीगण के नाम पर कायम जमाबंदी में इस न्यायालय द्वारा हस्ताक्षेप किया जाना समीचीन नहीं है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

14/11/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई

14/11/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

**समाहरणालय, जमुई**
**(राजस्व शाखा)**

ज्ञापांक– 1832 /रा0, दिनांक 14.11.19

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, सिकन्दरा/खैरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/11/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

N.I.C.